दिनांक 1-8-16

आदेश से रीडर

27.6.16

अनुपस्थित

पत्रावली कोर्ट कम्प्रोमाइज कांदा पर पेश वादी प्रार्थना में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है पत्रावली खारीज की जावे।

वादी वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली खारीज की जाती है

पत्रावली फेशल सुमार होकर जाकर रेक में जमा हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा